(3)

BOR
13 FEB 2018

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

I/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/1531

गंगाराम कुर्मी मृत द्वारा वारसान गण-

1. प्रेमरानी कुर्मी उम्र 70वर्ष बेवा गंगाराम कुर्मी
2. श्यामलाल कुर्मी उम्र 42 वर्ष बल्द स्व0 गंगाराम कुर्मी

दोनो निवासी ग्राम सतपारा तह0पथरिया जिला दमोह म.प्र.

.. निगरानीकर्तागण

।। विरूद्ध ।।

1. केदारनाथ तनयदामोदर प्रसाद चौरहा
निवासी ग्राम सतपारा तह0 पथरिया जिला दमोह म.प्र.

2. म.प्र. शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय दमोह म.प्र.

... अनावेदकगण

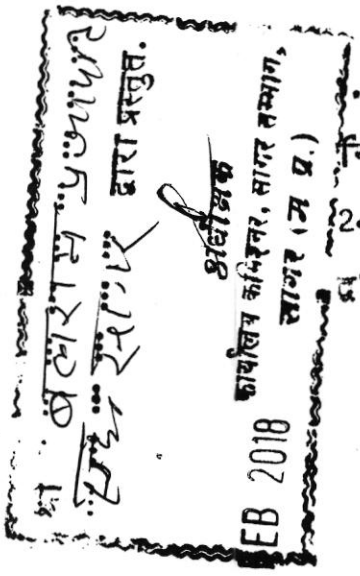

द्वारा प्रस्तुत
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)
13 FEB 2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी मान0 अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 220/अ-5 वर्ष 2012-13 में पारित अपील निरस्ती आदेश दि0 02.11.2017 से परिवेदित होकर नकल प्राप्ति में लगे समय को छोड़कर समयावधि के भीतर मूल अपीलार्थी गंगाराम कुर्मी की मृत्यु हो जाने से वारसान हक के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है :-

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पति/पिता गंगाराम के नाम से मौजा सतपारा प.ह.नं. 4 तह0पथरिया जिला दमोह में खसरा नंबर 1805/1 रकवा 1.58हे0 भूमि स्थित है, गंगाराम की भूमि मे से 0.15 हे0 भूमि केदारनाथ चौरहा द्वारा प्रस्तुत रकवा सम्बंधित तहसीलदार महोदय पथरिया के रा.प्र.क्र. 553/5 पारित आदेश दि0 18.08.2009 से पुनरीक्षणकर्ता को

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1531 **जिला** - दमोह

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.03.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलंब से पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी द्वारा विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन के विलंब का कोई स्पष्ट कारण न दिए जाने के कारण अपील निरस्त की है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में करते हुए अपील निरस्त की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	